YW-EST/3/2023-VI-4-Youth Welfare Department

242339/2023/Youth Welfare Section

I/178449/2023

संख्या– 750 / VI-4/2023–5(11)17 Com No–78710

29/12/23

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : 29 दिसम्बर, 2023

विषय :– युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1182 / दो–लेखा / विविध / 2023–24 दिनांक 14.09.2023 एवं पत्र संख्या–1763 / दो–लेखा / विविध / 2023–24 दिनांक 15.12.2023 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु मानकों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–599 / VI-4 / 2021–05(11)17 दिनांक 28.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए शासन स्तर पर सम्यकविचारोपरान्त् राज्य में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. प्रस्तावित भूमि का आकार व स्वामित्व –

- पर्ववीय क्षेत्र हेतु 1.18 एकड़ (80×60मी0 समतल भूमि) हो एवं मैदानी क्षेत्र हेतु 2. 37 एकड़ (120×80 मी0 समतल भूमि) होना आवश्यक है।
- भूमि का आवंटन निःशुल्क युवा कल्याण विभाग के नाम किया जाएगा।
- भूमि ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय के अन्तर्गत बस्ती के निकटवर्ती स्थल पर स्थित हो।
- प्रस्तावित भूमि वृक्ष, अतिक्रमण अथवा किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद से रहित हो तथा किसी नदी, नाले, अत्यधिक ढलान, श्मसान / कब्रिस्तान से संलग्न न हो।
- किसी शासकीय विभाग, प्राधिकरण, राजकीय / शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान / विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय / महाविद्यालय की भूमि पर संबन्धित संस्था / विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित किया जा सकता है। अन्य प्रकार की भूमि होने पर युवा कल्याण विभाग के नाम हस्तान्तरण होने के पश्चात ही मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित किया जाएगा।

2. स्टेडियम का निर्माण एवं लागत – मिनी स्टेडियम की कुल लागत रू0 1,70,00,000 / –(100+50+20 लाख) से अनाधिक होगी जिसके अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में ऐसी भूमि जहां रिटेनिंग वॉल के बिना मिनी स्टेडियम निर्मित न हो पा रहा हो एवं भूमि के

private:stream

कटान, समतलीकरण, भरान की लागत अत्यधिक हो तो जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर भूमि के कटान, समतलीकरण, भरान एवं रिटेनिंग वॉल के निर्माण सम्बन्धी कार्य रू0 50.00 लाख की सीमा तक कराये जायेंगे। सम्बन्धित आंगणन में उक्त कार्य हेतु मितव्ययता एवं वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित किया जायेगा तथा मिनी स्टेडियम हेतु रू0 5.00 लाख से रू0 20.00 लाख तक खेल उपकरणों यथा चिनअप बार, हारीजेन्टल बार, पैरलल बार, गोला, हैमर, चक्का आदि की स्थापना पर व्यय किया जायेगा एवं रू0 100/– लाख के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम में निम्न कार्य कराये जाने आवश्यक होंगे :–

कम से कम 04 फिट ऊँचाई का बाउण्ड्रीवाल एवं उसके ऊपर लोहे के एंगल पर तार–बाड़, 10–15 फिट चौड़ा गेट जिस पर विभाग का नाम तथा निर्माण की लागत का उल्लेख होगा, खेल गतिविधियों हेतु पर्वतीय क्षेत्र में 200 मी0 के 06 लेन रनिंग ट्रैक, एवं मैदानी क्षेत्र के लिए 200 मी0 के 08 लेन रनिंग ट्रैक, गोला, हैमर, चक्का आदि के क्षेपण हेतु मानक स्थल, कुश्ती पिच, लम्बीकूद पिट, खो–खो एवं कबड्डी मैदान का निर्माण, टॉयलेट एवं लगभग 10 वर्गमीटर का एक स्टोर रूम, पेयजल व्यवस्था आदि सम्मिलित होगा।

➢ मिनी स्टेडियम हेतु निर्धारित धनराशि युवा कल्याण विभाग के राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद से निर्गत की जाएगी। अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर विधायक निधि, सांसद निधि, अन्य निधि अथवा मनरेगा से निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

3. प्रशिक्षण – मिनी स्टेडियम में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण हेतु कम से कम 01 खेल प्रशिक्षक खेल विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर तैनात किया जाएगा जिसका मानदेय का भुगतान युवा कल्याण विभाग की जिला योजना से किया जाएगा तथा तैनात अंशकालिक प्रशिक्षक को एक से अधिक मिनी स्टेडियमों में प्रशिक्षण का दायित्व दिया जा सकता है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं विभागीय व्यायाम प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया जाएगा, आवश्यकतानुसार उक्त मिनी स्टेडियम में खेल विशेष के प्रशिक्षण हेतु खेल विभाग के माध्यम से अस्थाई खेल प्रशिक्षक भी तैनात किया जा सकेगा।

4. अनुरक्षण –

➢ मिनी स्टेडियम के रख–रखाव का मुख्य दायित्व इस स्टेडियम में नियुक्त खेल प्रशिक्षक का होगा।

➢ प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार टूट–फूट एवं खेल उपकरणों हेतु प्रतिवर्ष रु0 10 हजार जिला योजना से उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार इस पर राज्य सेक्टर से भी समय– समय पर व्यय किया जा सकता है।

➢ टॉयलेट, स्टोर रूम आदि की सफाई हेतु रू0 1000 की धनराशि जिला योजना से व्यय की जाएगी।

➢ विद्युत एवं पेयजल खपत पर व्यय जनपद की जिला योजना से किया जाएगा।

5. अन्य बिन्दु :–

(1) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मिनी स्टेडियम एवं खेल मैदान संचालन समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें खेल, शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी सम्मिलित रहेंगे ताकि अन्य विभागों की अनुपयोगी भूमि का प्रयोग मिनी स्टेडियमों

हेतु किया जा सके। उक्त समिति निर्मित मिनी स्टेडियमों के समुचित उपयोग यथा–खेलों के अभ्यास, प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में करेगी।

(2) मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित आगणनों की टी0ए0सी0 अनिवार्यतः नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 सैल से करायी जाएगी।

भवदीय,

Signed by Amit Kumar Sinha
Date: 29-12-2023 11:10:34

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 750 / VI-4 / 2021–5(11)17, Com No–78710 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Dhirendra Kumar Singh
Date: 29-12-2023 11:21:58

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

private:stream